



न्यायालय सहायक कलेक्टर एवम् उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा
पीठासीन अधिकारी :- हरिसिंह लम्बोरा, आर.ए.एस
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :- 09/2013

प्रार्थीगण

1. प्रहलादराम पुत्र श्री कालुराम
2. सुप्यारी पुत्री कालुराम
3. शोभा पुत्री कालुराम
4. प्रकाश पुत्र श्री भंवरलाल
सभी जातियान मेघवाल निवासीगण
हरियाढाणा, तहसील बिलाड़ा
जिला जोधपुर

बनाम

अप्रार्थीगण

1. खीयाराम पुत्र श्री जोगाराम
2. रणजीतराम पुत्र जोगाराम
3. पारसराम पुत्र श्री जोगाराम
4. उगमाराम पुत्र श्री जस्साराम
5. सुखड़ी पत्नी श्री जस्साराम
6. पेराराम पुत्र श्री धीराराम
7. शंकरराम पुत्र श्री धीराराम
सभी जातियान मेघवाल निवासी
हरियाढाणा, तहसील बिलाड़ा
जिला जोधपुर
8. राजस्थान सरकार जरिये
तहसीलदार बिलाड़ा

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर. टी. एक्ट

निर्णय

दिनांक :- 24.05.2017

पत्रावली आज बमुकाम हरियाढाणा राजस्व लोक अदालत शिविर में प्रस्तुत हुई। उपरोक्त प्रार्थना पत्र में अधिवक्ता प्रार्थी को काउण्टर प्रार्थना पत्र का जवाब पेश करने हेतु कई अवसर प्रदान किये गये फिर भी अधिवक्ता प्रार्थी ने न्यायालय आदेश की पालना नहीं की है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के अन्तर्गत खारिज किया जाता है। उपरोक्त राजस्व विविध प्रार्थना पत्र को राजस्व वाद के साथ नत्थी कियका जावे। पत्रावली फ़ैसलसुमार होकर दाखिल दफ़्तर हो।

(हरिसिंह लम्बोरा)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा